निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 191 / 2018

तारीख दायरा 14.06.2018

उनवान

गिरिराज पुत्र छीतरलाल जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादी

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र जैलाल जाति कलाल निवासी घानाहेडा तह0 सांगोद जिला कोटा।
2. श्रीमती रामप्यारी पत्नी छीतरलाल जाति कलाल निवासी घानाहेडा तह0 सांगोद।
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी) दिनांक :– 26.02.2021

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील प्रतिवादी)

––निर्णय––

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य [illegible] जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी क्र. 1 व 2 वादी के माता–पिता है जो [illegible] संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा वादी व प्रतिवादी क्र. 1 को अपने पूर्वजों से प्राप्त खसरा नंबर 31 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 39 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर 163 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 193 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 195 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 196 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 203 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 204 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 281 रकबा 0.15

रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 370 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 371 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नंबर 372 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 379 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नंबर 380 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नंबर 438 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता 17 की कुल 10.97 हैक्टर पुश्तैनी आराजी माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें प्रतिवादी कं. 1 का 4/15 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी कं. 1 को अपने पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी आराजी हैं जिसमें प्रतिवादी कं. 1 के नाम अंकित 4/15 हिस्सा आराजी में प्रतिवादी कं 1 के साथ वादी को जन्मजात अधिकार प्राप्त होने से प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज 4/15 हिस्सा आराजी में वादी को अपने पिता प्रतिवादी कं. 1 के साथ बांट–बराबर का हक अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी होने से प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा आराजी में वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2 प्रत्येक को बराबर का हिस्सा अधिकार प्राप्त है तथा वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2 काफी वर्षों पूर्व से मौके पर प्रति.कं. 1 के नाम अंकित 4/15 हिस्सा आराजी को संयुक्त रूप से काश्त भी करते चले आ रहे हैं किन्तु उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड होने से वादी को अपनी हिस्सा आराजी में कृषि विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी होती है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा आराजी में वादी को जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं किन्तु वादीगण द्वारा गत सप्ताह प्रतिवादी कं. 1 से उक्त संबंध में राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज दुरूस्त करवाकर वादी का नाम भी खाते में दर्ज करवाने की प्रार्थना की तो प्रतिवादी कं. 1 ने वादी का नाम खाते में दर्ज करवाने से मना कर दिया व शीघ्र ही स्वयं के नाम अंकित सम्पूर्ण आराजी हिस्सा को खुर्दबुर्द करने की धमकी दी जिसमें यदि प्रतिवादी कं. 1 सफल हो जाता है तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। वाद कारण गत सप्ताह प्रतिवादी कं. 1 द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से इन्कार करने व स्वयं के नाम अंकित सम्पूर्ण आराजी हिस्सा को खुर्दबुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 31 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 39 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 193 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 195 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 196 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 203 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 204 रकबा [illegible]2 हैक्टर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 281 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 301 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 370 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 371 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नंबर 372 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 379 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नंबर 380 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नंबर 438 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता 17 की कुल 10.97 हैक्टर पुश्तैनी आराजी प्रतिवादी कं. 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

घोषित किया जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा शेष खाता बदस्तूर रखा जावें तथा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा आराजी को प्रतिवादी कं. 1 किसी प्रकार से खुर्दबुर्द, रहन, विकय, दान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण न करें तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त से वादीगण को जबरन बैदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1 स्वयं करें न ही अपने नौकरों, एजेन्टों से करावें।

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1 की ओर से जवाब इकबाली प्रस्तुत कर दावा वादी स्वीकार कर डिकी करने का निवेदन किया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की। राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया तथा तस्दीक किया गया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई तथा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की।

चूंकि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी पक्षकारों की पुश्तैनी सम्पत्ति सिद्ध होती है जिसमें कानूनन वादी को जन्मजात अधिकार हासिल होने से प्रतिवादी कं. 1 के साथ–साथ अपना नाम जमाबन्दी में दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। ऐसी परिस्थितियों में मैं पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के अभिवचनों, जवाबदावा इकबाली, रिकार्ड, दस्तावेजात व राजीनामा पक्षकारान के आधार पर दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि–

माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 31 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 39 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर 163 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 193 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 195 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 196 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 203 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 204 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 281 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर [illegible] 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 370 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 37[illegible] खसरा नंबर 372 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 379 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा [illegible] रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नंबर 438 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता 17 की कुल 10.97 है[illegible] पुश्तैनी आराजी प्रतिवादी कं. 1 छीतरलाल के नाम दर्ज हिस्सा आराजी का वादी व प्रतिवादी कं. 1, 2 को बांट–बराबर का अर्थात 4/45–4/45 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा शेष खाता बदस्तूर रखा जावें। विवादित आराजी पर ... स्थिति में बैंक का चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 14.06.2018

प्रकरण संख्या : 191 / 2018

उनवान

गिरिराज पुत्र छीतरलाल जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादी

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र जैलाल जाति कलाल निवासी घानाहेडा तह0 सांगोद जिला कोटा।
2. श्रीमती रामप्यारी पत्नी छीतरलाल जाति कलाल निवासी घानाहेडा तह0 सांगोद।
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :– 26.02.2021

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी)

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद के खस[illegible] नंबर 31 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 39 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर 163 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 193 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 195 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 196 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 203 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 204 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 281 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 301 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 370

रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 371 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नंबर 372 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 379 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नंबर 380 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नंबर 438 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता 17 की कुल 10.97 हैक्टर पुश्तैनी आराजी प्रतिवादी क्रं. 1 छीतरलाल के नाम दर्ज हिस्सा आराजी का वादी व प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को बांट–बराबर का अर्थात 4/45–4/45 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा शेष खाता बदस्तूर रखा जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज पृथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद